

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 244] No. 244] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2017/भाद्र 27, 1939

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2017/BHADRA 27, 1939

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

(वित्तीय स्थिरता प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2017

विषय : वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में संशोधन के बारे में।

फा. सं. 18/14/2013-एफएसडीसी.—केंद्रीय सरकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना फा.सं.14/33/2010-ईएम, दिनांक 6 अगस्त, 2013 और 5 दिसम्बर, 2013 की समसंख्यक अधिसूचनाओं द्वारा यथासंशोधित, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:

1. उक्त अधिसूचना में;

- (i) पैरा 1 में, अंग्रेजी में "coodination" शब्द के स्थान पर "coordination" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) पैरा 2(ख)(iv) से पैरा 2 (ख) (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात
 - 2(ख)(iv) "सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय"
 - 2(ख)(v) "मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय"
 - 2(ख)(vi) "अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी)"
 - 2(ख)(vii) "अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)"
 - 2(ख)(viii) "अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)"
 - 2(ख)(ix) "अध्यक्ष, भारतीय शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई)"

- (iii) पैरा 2(ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात "सलाहकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, प्रभारी वित्तीय स्थिरता प्रभाग इस परिषद का सचिव होगा"।
- (iv) पैरा 5 में, "वित्तीय बाजारों संबंधी उच्च स्तरीय समन्वयन समिति" शब्दों के स्थान पर, "वित्तीय और पूंजी बाजारों संबंधी उच्च स्तरीय समन्वयन समिति" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 2. केंद्रीय सरकार एतद्वारा यह भी घोषणा करती है कि दिनांक 5 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या फा. सं. 18/14/2013-एफएसडीसी दिनांक 28 सितम्बर, 2015 से प्रभावी नहीं रही, यह वह तारीख है जिसको वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) के अध्याय-VIII के भाग-I (धारा 132 को छोड़कर) और भाग-II के उपबंध प्रवर्तन में आए थे।

डॉ. सी. एस. महापात्रा, सलाहकार (एफएस)

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 को फा.सं.14/33/2010-ईएम के तहत प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्न के तहत संशोधित की गई थी:

- (i) फा. सं.18/14/2013-एफएसडीसी दिनांक 6 अगस्त, 2013
- (ii) फा. सं.18/14/2013-एफएसडीसी दिनांक 5 दिसम्बर, 2013

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(FINANCIAL STABILITY DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2017

Subject: Amendment in the Gazette Notification of Financial Stability and Development Council (FSDC)-regarding

- **F. No. 18/14/2013-FSDC.**—The Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, F.No. 14/33/2010-EM dated 30th December, 2010 as amended vide notifications of even number dated 6th August, 2013 and 5th December, 2013.
- 1. In the said notification;
 - i. In para 1, for the word "coodination", the word "coordination" shall be substituted.
 - ii. For para 2(b)(iv) to para 2(b) (viii), the following shall be substituted namely—
 - 2(b)(iv) "Secretary, Ministry of Corporate Affairs"
 - 2(b)(v) "Chief Economic Adviser, Ministry of Finance"
 - 2(b)(vi) "Chairman, Securities and Exchange Board of India (SEBI)"
 - 2(b)(vii) "Chairman, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)"
 - 2(b)(viii) "Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)"
 - 2(b)(ix) "Chairman, Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)"
 - iii. For para 2(c), the following shall be substituted, namely "Adviser, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, in-charge-of Financial Stability Division, will be the Secretary of the Council".
 - iv. In para 5, for the words "High Level Coordination Committee on Financial Markets (HLCCFM)", the words "High Level Coordination Committee on Financial and Capital Markets" shall be substituted.

2. The Central Government hereby also declare that Notification No. F.No 18/14/2013-FSDC dated 5th December, 2013 cease to have effect from 28th September, 2015, as the date on which the provisions of Part I (excluding Section 132) and Part II of Chapter VIII of the Finance Act, 2015 (20 of 2015) came into force.

Dr. C.S. MOHAPATRA, Adviser (FS)

Foot Note: The principal Notification was published in the Gazette of India extraordinary *vide* F. No. 14/33/2010-EM dated 30th December, 2010 and following subsequent amendments were made on:

- i. 6th August, 2013 vide F.No. 18/14/2013-FSDC
- ii. 5th December 2013 vide F.No. 18/14/2013-FSDC

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.18 19:53:27 +05'30'